दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रेस निविदा सूचना सं. 19/एफ.ओ. टु सीई (डीडब्ल्यूके.)/2008-09

दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से दि.वि.प्रा., के.लो.नि.वि., सै.अ.से., पी एण्ड टी के सिविल विंग, रेलवे के स्वीकृत एवं पात्र ठेकेदारों तथा क्रम सं. 3 एवं 6 के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों से निर्धारित तिथियों पर सीलबन्द मद दर निविदाएँ आमंत्रित हैं जिन्हें उसी दिन 3.30 बजे विकास मीनार, दि. वि. प्रा. कार्यालय, नई दिल्ली में इच्छुक निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों कि उपस्थिति में खोला जाएगा। निविदा प्रपत्र (क्र. सं. 3, 4 एवं 6 के अतिरिक्त) प्रत्येक कार्य के सामने दर्शाये गए निविदा मूल्य के भुगतान (अप्रतिदेय) पर वैध सूचीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सीएयू, द्वारका ज़ोन/बिक्री काउंटर, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे के बीच प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा के साथ वरि. लेखा अधिकारी, सीएयू, द्वारका ज़ोन के पक्ष में देय धरोहर राशि नकद (रु. 10,000/- तक) किसी शैड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी रिसीप्ट ट्रैज़री चालान/सीडीआर/एफडीआर/डीडी लगा होना चाहिए। धरोहर राशि का 50% अथवा रु. 20 लाख, जो भी कम हो, ऊपर बताए रूप में होगा तथा शेष राशि किसी शैड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है।

क्र. सं.	निआसू सं.	डिवीजन का नाम व पता	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	बिक्री की अन्तिम तिथि	खुलने की तिथि	स्वीकृत अवधि
1.	29/ डब्ल्यू डी-12/ 08-09	ईई, डब्ल्यू डी-12 लक्कड़ मन्डी, कीर्ति नगर, नई दिल्ली	नजुल/सी-II, ए/आर के अन्तर्गत विभिन्न कॉलोनियों का रख-रखाव तथा द्वाराका में सेक्टर/1 से 23 तक की पैरीफैरल सीवर लाइन का वर्ष 2008-09 के लिए रख-रखाव। एसएच : सेक्टर 13 एवं 14 में 30 मी. तथा 45 मी. आर.ओ.डब्ल्यू के साथ पैरीफैरल सीवर लाइन की सफाई/गाद निकालना	रु. 2,43,359/-	रु. 4,867/-	रु. 500/-	10.10.08	16.10.08	45 दिन
2.	30/ —वही—	—वही—	पीपीके फेज़-I (बिन्दापुर पॉकेट III में अकेली पॉकेट) की 92.12 हैक्टेयर जमीन का विकास। एसएच : बिन्दापुर पॉकेट III (पंचशील कॉलोनी और ग्राम बिन्दापुर के प्रवेश) में रैट्रो रिफ्लैक्टिव साइन बोर्डों का प्रावधान करना तथा लगाना	रु. 2,20,662/-	रु. 4,413/-	रु. 500/-	10.10.08	16.10.08	45 दिन
3.	34/डब्ल्यू डी-13/ 08-09 (विशेष-ज्ञता)	ईई, डब्ल्यू डी-13, —वही—	द्वारका फेज़ II मुख्य भूमि का विकास। एस.एच. : द्वारका फेज़ II में पानी की आपूर्ति बढ़ाने हेतु सैक्टर 24 में 2 अदद ट्यूबवैल टी-1 तथा टी-2 की बोरिंग	रु. 5,47,633/-	रु. 10,953/-	रु. 500/-	10.10.08	16.10.08	2 माह
4.	33/- —वही— (विशेष-ज्ञता)	—वही—	द्वारका फेज़ II में मुख्य भूमि का विकास। एस.एच.: द्वराका फेज II में पानी की आपूर्ति बढ़ाने हेतु सैक्टर 16-डी में 2 अदद ट्यूबवैल टी-3 तथा टी-4 की बोरिंग	रु. 5,47,633/-	रु. 10,953/-	रु. 500/-	10.10.08	16.10.08	2 माह
5.	31/- डब्ल्यू डी-7/ 2008-09	ईई, डब्ल्यू डी-7, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	डीडीए की भूमि की सुरक्षा। एस.एस.: विकासपुरी क्षेत्र के अन्तर्गत दि.वि.प्रा. की खाली जमीन की घेराबंदी।	रु. 5,12,369/-	रु. 10,247/-	रु. 500/-	10.10.08	16.10.08	6 माह
6.	31/ डब्ल्यू डी-12/ 2008-09 (विशेष-ज्ञता)	ईई, डब्ल्यू डी-12, लक्कड़ मन्डी, कीर्ति नगर, नई दिल्ली	नजुल ए/सी-II के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिए विभिन्न कॉलोनियों का रख-रखाव (द्वारका में सैक्टर 1 से 23 तक पैरीफ़ैरल सीवर लाइन का ए/आर एवं रख-रखाव)। एसएच : द्वारका सैक्टर 22, 23, 5 व 7 में सीवर लाइन की सुपर सकर मशीन द्वारा सफाई एवं गाद निकालना।	रु. 14,03,472/-	रु. 28,069/-	रु. 500/-	10.10.08	16.10.08	45 माह
7.	36/ डब्ल्यू डी-13/ 08-09	ईई, डब्ल्यू डी-13, —वही—	द्वराका पेज़ II में मुख्य भूमि का विकास। एसएच : द्वारका सैक्टर 14 फेज II में वर्तमान 30 मीटर आर/डब्ल्यू सड़क का सुधार।	रु. 1,07,07,049/-	रु. 2,14,141/-	रु. 1,500/-	18.10.08	23.10.08	4 माह
8.	20/एस डब्ल्यू डी-8/ 2008-09	ईई, एस डब्ल्यूडी-8, सेन्ट्रल नर्सरी डीडब्ल्यूके.	द्वारका में पप्पनकलाँ अकेली पॉकेट की 92.12 हैक्टेअर भूमि का विकास। एसएच : जीवन पार्क में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाइन हेतु सड़क की आंशिक मरम्मत के लिए डिपॉज़िट कार्य।	रु. 17,33,178/-	रु. 34,664/-	रु. 500/-	10.10.08	16.10.08	2 माह
9.	35/एस डब्ल्यू डी-7/ 08-09	ईई, एस डब्ल्यूडी-7 —वही—	द्वारका फेज I तथा II में मास्टर प्लान रोड 60 मी. एवं 45 मी. आर/डब्ल्यू का विकास। एसएच : मास्टर प्लान सड़क सं. 202, द्वारका फेज-I की सर्विस रोड में विभिन्न एजेंसियों द्वारा तार बिछाने हेतु तोड़ी गई सड़क की मरम्मत का कार्य (डिपॉज़िट वर्क)।	रु. 3,18,482/-	रु. 6,370/-	रु. 500/-	10.10.08	16.10.08	1 माह
10.	4/एस डब्ल्यू डी-6/ 07-08 (पुनः आमंत्रित)	ईई, एस डब्ल्यूडी-6, —वही—	सैक्टर 14 द्वारका फेज II में टर्नकी आधार पर एलआइजी मकानों का निर्माण (शेष कार्य)। आर/एफ मैसर्स वी.आर.एम. (इंडिया) लिमिटेड।	रु. 12,18,15,106/-	रु. 10,00,000/-	रु. 10,000/-	18.10.08	23.10.08	20 माह

टिप्पणी : 1. डी एण्ड आर के मामले में रु. 25.00 लाख तक की लागत के कार्यों के लिए, केवल दि.वि.प्रा. के साथ पंजीकृत ठेकेदारों को ही निविदाएँ जारी की जाएँगी तथा रु. 25.00 लाख से रु. 2.00 करोड़ तक की लागत के कार्यों के लिए दिविप्रा तथा केलोनिवि द्वारा सूचीबद्ध किए गए ठेकेदारों को उनके सूचीयन के अनुसार निविदाएँ जारी की जाएँगी। निविदाएँ गैर-केलोनिवि ठेकेदारों को भी जारी की जायेंगी बशर्ते कि उन्होंने पिछले पाँच वर्ष में समान प्रकृति के तीन कार्यों, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम न रही हो, को सन्तोषजनक रूप से पूरा किया हुआ हो।

2) क्र.सं. 3 एवं 4 के कार्यों के लिए : निविदा प्रपत्र ईई, डब्ल्यूडी-13 द्वारा केवल उन्हीं ठेकेदारों को जारी किये जायेंगे जो निम्नलिखित की पूर्ति करते हों : 1) सरकारी विभाग स्वायत्तशासी निकाय सार्वजनिक उद्यमों में निम्नानुसार सन्तोषजनक रूप से कार्य की पूर्ति (i) तीन समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य निविदा में दी गयी अनुमानित लागत के 40% से कम न हो अथवा (ii) दो समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य निविदा में दी गयी अनुमानित लागत के 60% से कम न हो अथवा (iii) जिस महीने में निविदाएँ आमंत्रित की गयी हैं उससे पिछले महीने के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में एक समान कार्य, जिसका मूल्य निविदा में दी गयी अनुमानित लागत के 80% से कम न हो। 2) एजेन्सी सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से पंजीकृत होनी चाहिए। क्र.सं. 6 के कार्य के लिए : कार्य के लिए निविदाएँ ईई, डब्ल्यूडी-12 द्वारा उन ऐजन्सियों को जारी की जायेंगे जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो : i) पिछले पाँच वर्षों में केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राजकीय स्वायत्तशासी निकायों में समान प्रकृति/श्रेणी के कम से कम दो कार्यों को सन्तोषजनक रूप से पूरा किया हो, जिनमें से प्रत्येक की लागत प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत (सकल) के 50% से कम न हो। ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से एक में सिविल निर्माण कार्य में वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर (सकल) (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से अंकेक्षित) कार्य की अनुमानित लागत (सकल) वार्षिककृत आधार पर जो कार्य पूर्ण करने की अवधि पर निर्भर होगा। अर्थात परिपूर्णन अवधि से विभाजित सम्पूर्ण अनुमानित मूल्य के 100% से कम न हो।

3) क्र.सं. 10 के कार्य के लिए : (i) निविदाएँ अलग-अलग सीलबन्द कवर में दो भागों अर्थात तकनीकी तथा वित्तीय बोलियों में आमंत्रित है। निम्नलिखित आवश्यकताएँ पूरी करने वाले ठेकेदार आवेदन करने के पात्र होंगे। **संयुक्त उद्यम स्वीकृत नहीं होंगे।** क) बेसमेंट सहित अथवा रहित बहुमंजिले भवन के तीन कार्य (जिनमें से कम से कम एक केन्द्र सरकार/केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय/केन्द्रीय पीएसयू में किया हो) जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत की 40% हो अथवा दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत की 50% हो या महीने के अन्तिम दिन अर्थात 31अगस्त, 2008 को समाप्त होने वाले पिछले 7 वर्षों में उपरोक्त प्रकृति का एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत की 80% हो। ख) 31 अगस्त, 2008 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वर्षों में निर्माण कार्य में औसतन वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर निविदा में दिये गये अनुमानित लागत का कम से कम 30% रहा हो। ग) 31 अगस्त, 2008 को समाप्त पिछले 5 वर्षों में 2 वर्षों से अधिक में कोई हानि न हुई हो। घ) अनुमानित लागत के 40%, परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम न हो, का बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना होगा। 2) निविदा प्रपत्र निविदा का मूल्य रु. 10,000/- (अप्रतिदेय) का भुगतान करने पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेल, बिक्रीकर विभाग/वैट विभाग से पंजीकरण का वैध प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सीएयू), द्वारका सेन्ट्रल टेन्डरिंग यूनिट, विकास मीनार एवं डिविजनल ऑफिस से फॉर्म -11 में कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके प्राप्त किये जा सकते हैं। iii) धरोहर राशि समुचित फॉर्म में जैसा की निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न पीडब्लयूडी-6 में दिया गया है, के अनुसार निविदा के साथ जमा की जायेगी। जिन ठेकेदारों की निविदा के साथ निर्धारित विधि से धरोहर राशि संलग्न नहीं होगी उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी। iv) यदि आवेदक द्वारा भरी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई गई तो वह निविदा देने/दिविप्रा में कार्य प्राप्त करने से बहिष्कृत कर दिया जायेगा। विभाग के पास आवेदक द्वारा दिये गये विवरण की स्वतन्त्र रूप से सत्यापन कराने का अधिकार सुरक्षित है। v) किसी एजेन्सी द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों की लागत जिस वित्तीय वर्ष में कार्य पूरे किये गये हों उसके बाद वाले प्रत्येक वर्ष के लिए उचित रूप से 5% की दर से बढ़ा दी जायेगी ताकि उसे वर्तमान लागत के अनुरूप किया जा सके। एजेन्सियों के टर्न ओवर के मामले में भी इसी प्रकार बढ़त प्रभावी होगी। vi) निविदा के लिए आवेदन जमा करते समय ठेकेदार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिक्रीकर विभाग के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेल द्वारा जारी सूचीयन पंजीकरण/प्रमाण पत्र/वैध पंजीकरण तथा फॉर्म -XI में कर चुकता प्रमाण पत्र आदि जैसे अन्य प्रपत्र भी संलग्न करने होंगे। vii) तकनीकी बोली के लिए आवश्यक अन्य प्रपत्रों के साथ धरोहर राशि, जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा गारन्टी दिये गये किसी शिड्यूल्ड बैंक से जारी रु. 10,00,000/- के डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफडीआर की कॉल डिपॉजिट रिसीट के रूप में होगी, सीलबन्द लिफाफा ''ए'' में देनी होगी। एफडीआर निविदा बिक्री की अन्तिम तिथि के बाद से 1 वर्ष अथवा अधिक के लिए वैध होनी चाहिए तथा वह वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सीएयू (डीडब्ल्यूके), दिविप्रा के पक्ष में बन्धक होनी चाहिए। दिविप्रा में जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। viii) ठेकेदार को भुगतान किये जाने वाले बिल में से भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्य (आरई एण्ड सीएस) अधिनियम, 1996 के प्रावधान के अन्तर्गत उपकर तथा वेलफेयर सेस अधिनियम, 1996 के अनुसार निर्माण/परियोजना की लागत का 1% सीधे ही काटा जायेगा।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट: www.dda.org.in देखें